ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

पत्रांक ः ग्रेटर नोएडा / सम्पत्ति / 2017 / 6041
दिनांक : 03./.11/2017

<u>निरस्तीकरण पत्र</u>

सेवा में ,

Sh. Harish Sharma
1/2473, Gali No. 26,
East Ram Nagar, Shahdara
Delhi-110032

विषय ः भवन संख्या 3TF, ब्लाक 95, सैक्टर MU-II, क्षेत्रफल 29.76 वगमीटर के आवंटन निरस्तीकरण / जब्तीकरण किये सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विल्टअप हाउसिंस योजना–BHS-16/2013 दिनांक 02.04.13 को लायी गयी जिसके अर्न्तगत ड्रा के माध्यम से आवेदन संख्या 43329, क्षेत्रफल 29.76 वर्गमीटर पंजीयन धनराशि रू 80,000.00 जमा कराते हुये आवेदन किया गया। योजना के ड्रा में सफल होने की दशा में सफल आवेदक होने के कारण प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में भवन संख्या 3TF, ब्लाक 95, सैक्टर MU-II, क्षेत्रफल 29.76 वगमीटर का आवंटन पत्र दिनांक 18.09.2013 को निर्गत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में जारी आवंटन के अनुसार आवंटन धनराशि के रूप में देय धनराशि रू 1,45,600.00 दिनाक 02.11.2013 तक जमा करायी जानी थी जोकि आपके द्वारा नियत तिथि पर जमा नही किया गया। आवंटन पत्र में आवंटन धनराशि जमा ना किये जाने के सम्बन्ध मे निम्नवत स्पष्ट उल्लेख किया गया था :-

"Allotment Money shall be payable with in 45 days from the date of allotment. In case the allottee fails to deposit the allotment money within 45 days from date of allotment, mentioned as the due date of deposit above, the allotment will be liable for cancellation and the money deposited till the date of cancellation will be forfeited.

The Cancellation terms as per Clause K of the brochure shall be applicable"

आवंटन पत्र के अनुसार देय आवंटन धनराशि का भुगतान दिनांक *02.11.2013* तक किया जाना था जोकि आपके द्वारा वर्तमान तक नही किया गया। आवंटन धनराशि जमा ना होने की दशा में आपके पक्ष में जारी आवंटन निरस्तीकरण श्रेणी में आ गया है।

BHS-16/2013 योजना के ब्रोशर में आवंटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है :-

<u>के – निरस्तीकरण</u>

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त , प्राधिकरण/पट्टादाता,अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/ आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वंतत्र होगा :-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

पत्रांक : ग्रेटर नोएडा / सम्पत्ति / 2017/6041
दिनांक : 03/11/2017

"के – 3 : आवेदक / आवंटी / पट्टाधारक द्वारा पजींकरण / आवंटन/ पट्टे की नियम व शर्तो के तोडने / उल्लंघन करने और / अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।"

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2 व 3) के अन्तर्गत, निरस्तीकरण की दशा में , निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है , तो प्राधिकरण / पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी , और आवंटी / पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नही होगा।

आवंटन पत्र में उल्लिखित देय आवंटन धनराशि जमा ना किये जाने की दशा में ब्रोशर का क्लॉज "के – 3 : आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पजींकरण/आवंटन/ पट्टे की नियम व शर्तो के तोडने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।" , लागू हो जाता है।

अतः ब्रोशर का क्लॉज "के – 3 के आधार पर आवंटन राशि जमा न करने की दशा में ब्रोशर के उप प्रस्तर (3) के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 18.09.13 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 31.10.2017 के कम निरस्त जाता है तथा आवंटन के विरूद्ध दिनांक तक जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण पक्ष में जब्त की जाती है।

भवदीय

3/11/17

प्रबन्धक - I (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक (वित्त / सिस्टम) के अवलोकनार्थ.

प्रबन्धक - I (सम्पत्ति)